

जिलाधिकारी, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 30.8.97 के द्वारा उ.प्र.स्टाम्प मालिका का मूल्यांकन 1997 के यथासंशोधित नियम-4 §18 के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की तहसील व परगना भोगनीपुर के लिये भूमि के मूल्यांकन गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण मूल्य के लिये न्यूनतम दरें और वाणिज्यिक भवन के किराये की न्यूनतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी:—

तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात

क्रमांक	किस्म जमीन	निर्धारित रेट प्रति एकड़
1-	सिंचित	90,000=00
2-	असिंचित	80,000=00

नोट:-

- §18 तहसील के लिंक मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दरें निर्धारित रेट से 15 प्रतिशत अधिक होगी। तथा जनपदीय मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दरें निर्धारित रेट से 25 प्रतिशत अधिक होगी एवं तहसील के राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दरें निर्धारित रेट से 50 प्रतिशत अधिक होगी।
- §28 5 §पांच§ बिस्वा तक कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर 50=00 रु० प्रति वर्गमीटर की दर से स्टाम्प अदा किया जायेगा।
- §38 औद्योगिक / व्यवसायिक प्रयोजन हेतु क्रय की जाने वाली भूमि 3,00,000=00 रु० प्रतिबीघा की दर से स्टाम्प अदा किया जायेगा।
- §48 नगरपालिका परिषद, पुखराया में पड़ने वाली भूमि जो कृषि प्रयोजन हेतु खरीदी जायेगी उसका रेट 1,40,000=00 रुपया प्रति बीघा तथा नगर पंचायत अमरौधा तथा सिकंदरा में पड़ने वाली कृषि भूमि का रेट 80,000=00 रुपया प्रतिबीघा होगा।

आवासीय दर

=====

- §18 पुखराया लखनऊ झांसी मार्ग पर स्थित महल्लों का रेट राजेन्द्रनगर, सुभाषनगर, गांधी-नगर, जवाहरनगर, किट्कनगर, तथा भीरपुर एवं अहरौली श्रेष्ठ स्थित गायत्रीनगर का रेट 1,000=00 रुपया प्रति वर्गमीटर होगा।
- §28 पुखराया वाई पास एवं मण्डी समिति पुखराया एवं श्रेष्ठ आबादी का रेट-750=00रु० प्रतिवर्गमीटर होगा।
- §38 भोगनीपुर चौराहा की सड़कों के किनारे स्थित प्लाट का रेट 1,200=00 रु० प्रति-वर्गमीटर तथा अंदर आबादी 750=00रु० प्रतिवर्गमीटर होगा।
- §48 अहरौली श्रेष्ठ, राजपुर, पैलावर, पातेपुर, मौखंज, फल्लेपुर, मुतानगर, सिकंदरा, अमरौधा में 650=00 रुपया प्रतिवर्गमीटर होगा।
- §58 परेहरापुर, ठवाजापूर, शाहजदापुर, बरौर, कांधी, गौर, हलधरपुर, रतवान, डीम, बटौली, बिरहेहा, में 500=00 रुपया प्रति वर्गमीटर होगा।
- §68 श्रेष्ठ ग्राम तहसील में 200=00 रुपया प्रतिवर्ग मीटर होगा।

-2-

- §7§ नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत/ग्रहरी एवं अर्द्धग्रहरी क्षेत्र के पूर्णतया आवासीय पक्के भवनों के निर्माण के अच्छादित भाग का मूल्य प्रतिवर्गमीटर 3-000=00रुहो.
- §8§ गैर आवासीय अथवा अर्द्धआवासीय अर्थात् ऐसे भवन जो पूर्णतया आवासीय नहीं है ग्रहरी क्षेत्र अथवा अर्द्धग्रहरी क्षेत्र के लिये निम्नतम किराया 20=00 रु. प्रतिवर्गमीटर होगा, एवं ग्रामीण क्षेत्र का 10=00रु. प्रतिवर्गमीटर होगा।

उक्त दरें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरें हैं किन्तु यदि किसी क्षेत्र विशेष में बाजारी मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्यों से अधिक है तो तदनुसार उच्चतर बाजार दर पर ही निबंधन किया जायेगा। संपत्ति उपनिबंधक तदनुसार ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुये उच्चतर दरें ही लेंगे, यदि उक्त सम्बंध में बाजार दर से कम कीमत पर निबंधन किया जाता है तो तदनुसार दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

§जे०पी०सिंह§

अपर जिलाधिकारी §वि०/रा०§
कानपुर देहात।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 लखनऊ।
- 2- महानिरीक्षक, निबंधन, उ०प्र०इलाहाबाद।
- 3- अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०इलाहाबाद।
- 4- जिला निबंधक, कानपुर देहात।
- 5- ए०आइ०जी०ए०स्टाफ्फ् §कानपुर देहात।
- 6- परगनाधिकारी/तहसीलदार भोगनीपुर।
- 7- उपनिबंधक भोगनीपुर।

§जे०पी०सिंह§

अपर जिलाधिकारी §वि०/रा०§
कानपुर देहात।

जिलाधिकारी, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 20.03.2002 के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के यथा संशोधित नियम 4(1) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की तहसील व परगना भोगनीपुर के लिए भूमि के द्विवार्षिक मूल्यांकन तथा गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण मूल्य के लिए न्यूनतम दरें और वाणिज्यिक भवन के किराये की न्यूनतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं, जो दिनांक 01.04.2002 से प्रभावी होंगी तथा अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगी :-

तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात

<u>क्र०सं० सामान्य ग्राम</u>	<u>किस्म जमीन</u>	<u>निर्धारित रेट प्रति एकड़</u>
(क)	सिंचित	1,20,000.00
(ख)	असिंचित	1,00,000.00

2. विशिष्ट ग्राम

गदाइखेड़ा, गिरधरपुर, महकापुर, चकजलाल, जहांगीरपुर, गोरीरज्जन, नोनापुर, पिपरी, प्रेमपुर, बहेरीगाँव, मदनपुर, माँचा, रसूलपुर, रुरगांव, रेगवा, लगड़े का पुरवा, सराय, सिखगापुर, सुजगवां, शेखपुर, हराहरा, परहरापुर, हरदुआ ऐमा, बढौली, गोर, सट्टी, बिरोहा, हलधरपुर, शाहजहांपुर, मूसानगर, पातेपुर, बुधेड़ा, भोगनीपुर, अहरोली शेख गौसगंज, फत्तेपुर, भीरपुर, हारोमऊ, छलोनी, गोंदमदपुर, डीघ, शेष पुखराया -

सिंचित	1,40,000.00 प्रति एकड़
असिंचित	1,10,000.00 प्रति एकड़

3 गैर आबाद ग्राम

अहरोली घाट - कटरी, व्योटरा - कटरी, खरतला - कटरी डिलोलिया कछार, देवरहट - कटरी, नगवाकछार, नगीना - ब्रम्हरोली घाट - कटरी, मूसानगर कछार, रसूलपुर भलार - कटरी।

95,000.00 रूपया प्रति एकड़

4. औद्योगिक भूमि की दर रूपया 6,92,000/- प्रति एकड़ होगी।

5. नगर पालिका पुखरायां में स्थित कृषि भूमि की दर रूपया 3,95,000.00 प्रति एकड़ एवं नगर पंचायत अमरीधा में स्थित कृषि भूमि की दर रूपया 2,55,000.00 प्रति एकड़ होगी।

आवासीय

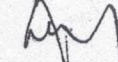
- 1- पुखरायां लखनऊ झांसी मार्ग पर स्थित राजेन्द्र नगर, सुभाष नगर, गांधी नगर, शास्त्री नगर, जवाहर नगर, किदवाई नगर, मीरपुर, गायत्री नगर व इन्दिरा नगर स्थित मुहल्लों का रेट रूपया 1,100.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।
- 2- कालपी रोड पुराना पर स्थित राम स्वरूप ग्रामोद्योग इण्टर कालेज से मिश्रा पेट्रोल पम्प तक सड़क के दोनों ओर 25 मीटर तक की आवासीय भूमि की दरें रूपया 1,500.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।
- 3- पुखरायां बाई पास एवं मण्डी समिति पुखरायां तथा शेष पुखराया का रेट रूपया 850.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।
- 4- अहरोली शेख बाई पास से पूरब की ओर स्थित प्लाटों का रेट रूपया 1,050.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।
- 5- अहरोली शेख बाई पास से पश्चिम की ओर स्थित प्लाटों का रेट रूपया 850.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।
- 6- पुखराया रोडवेज चेकपोस्ट से भोगनीपुर पेट्रोल पम्प तक व भोगनीपुर क्रासिंग से भोगनीपुर पुरानी सड़क के जोड़ तक सड़क के दोनों ओर 50 मीटर तक स्थिति प्लाटों का रेट रूपया 1,450.00 प्रति वर्ग मीटर होगा तथा सड़क से अन्यथा प्लाटों का रेट रूपया 850.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।
- 7- गौसगंज, फत्तेपुर, मूसानगर, अमरौधा, बुधेड़ा भोगनीपुर व पातेपुर में आवासीय भूमि की दरें रूपया 750.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी ।
- 8- परेहरापुर, शाहजहांपुर, बरौर, गौर, हल्दरपुर, डीघ, छतेनी, बड़ौली, विरोहा, मुहम्मदपुर, नथुआपुर, बलहरामऊ, विहार की आवासीय भूमि की दरें रूपया 600.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।
- 9- तहसील के शेष अन्य ग्रामों में आवासीय भूमि की दरें रूपया 230.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी ।
- 10- नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र के पूर्णतया आवासीय भवनों के निर्माण की दरें रूपया 3,500.00 प्रति वर्ग मीटर एवं तहसील के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की निर्माण की दरें रूपया 2,500.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी ।

क्रमशः 3 पर

(3)

- 11- गैर आवासीय भवनों में शहरी क्षेत्र अथवा अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम किराया रूपया 25.00 प्रति वर्ग मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों का किराया रूपया 15.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।

उक्त दरें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरें हैं, किन्तु यदि किसी क्षेत्र विशेष में बाजारी मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक है, तो तदनुसार उच्चतर बाजारी दर पर ही निबन्धन किया जायेगा। उप-निबन्धक तदनुसार ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उच्चतर दरें ही लेंगे । यदि उक्त सम्बन्ध में बाजार दर से कम कीमत पर निबन्धन किया जाता है, तो तदनुसार दायित्व निर्धारित किया जावेगा ।



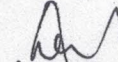
(एन.एस. पाण्डेय)

अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)

कानपुर देहात ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उ०प्र० शासन, कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5, लखनऊ।
2. स्टाम्प आयुक्त/महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
4. जिला निबन्धक, कानपुर देहात ।
5. सहायक स्टाम्प आयुक्त/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, कानपुर देहात ।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, भोगनीपुर।
7. उप-निबन्धक, भोगनीपुर।

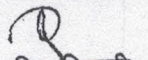


(एन.एस. पाण्डेय)

अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)

कानपुर देहात ।

प्रतिहस्ताक्षरित


जिलाधिकारी,
कानपुर देहात